राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
गर्भधारण पूर्व लिंग चयन और प्रसवपूर्व लिंग अवधारण दाण्डिक अपराध है।

PC&PNDT Act 1994 : मुख्य विशेषताए

- गर्भधारण से पूर्व एंवम् पश्चात लिंग चयन को रोकना। गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व लिंग निदान अवधारण तकनीको का भ्रूण के लिंग अवधारण हेतू दुरूपयोग रोकना गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व लिंग अवधारण तकनीको का भ्रूण के लिंग अवधारण हेतू विज्ञापन, चाहे इंटरनेट के माध्यम से भी को रोकना। अनुवंशिक परामर्श केन्द्र, प्रयोगशालाओं और क्लीनिक जो गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व लिंग भ्रुण की लिंग जांच अथवा अवधारण की क्षमता रखती है का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। फार्म एफ सहित निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से रिकार्ड का संधारण और संरक्षण

PC&PNDT Act 1994 के अधीन दाण्डिक प्रावधान चिकित्सक/क्लिनिक का स्वामी

- प्रथम अपराध के लिए 3 वर्ष तक का कारावास और 10000 रूपये तक का जुर्माना।
- पश्चातवर्ती अपराध के लिए 5 वर्ष तक का कारावास और 50000 रूपये तक का जुर्माना।
- न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किये जाने पर रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी के रजिस्ट्रीकरण का निलंबन।
- सिद्वद्वोष ठहराये जाने पर चिकित्सक का राज्य मेडिकल काउन्सिल में रजिस्ट्रेशन प्रथम अपराध के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए और पश्चातवर्ती अपराध के लिए स्थायी रूप हटाया जा सकता है।

पति/परिवार का सदस्य अथवा अन्य व्यक्ति जो लिंग चयन का दुष्प्रेरण करता है

- प्रथम अपराध के लिए 3 वर्ष तक का कारावास और 50000 रूपये तक का जुर्माना।
- पश्चातवर्ती अपराध के लिए 5 वर्ष तक का कारावास और 100000 रूपये तक का जुर्माना।

पंजीयन के बिना अल्ट्रासांउड मशीन, स्केनर अथवा अन्य उपकरण जो भ्रुण का लिंग अवधारित करने में सक्षम है का प्रयोग करता है तो ऐसे उपकरण/मशीन जब्त किये जा सकेगे।

लिंग चयन हेतू विज्ञापन

3 वर्ष तक का कारावास और 10000 रूपये तक का जुर्माना।

कौन कौन जिम्मेदार है–

- युनिट इन्चार्ज/स्वामी
- चिकित्सक/जांचकर्ता
- मध्यस्थ जो गर्भवती महिला तक पंहुच करवाता है।
- पति/रिश्तेदार
- व्यक्ति/इकाई जो लिंग चयन का विज्ञापन करती है।

PC&PNDT Act 1994 के तहत प्रत्येक अपराध संज्ञेय, अजमानतीय और अशमनीय है।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करे –

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

PREMIER# 9783855551